

क्रमांक/शिक्षा-1/2019-20/
प्रति,

12138

भोपाल, दिनांक 26-12-2020

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

विषय:- PGDM पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शिक्षा-1/2019-20/9908-9909 भोपाल, दिनांक 16.12.2019

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में PGDM पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत PGDM पाठ्यक्रम हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार नवीन निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. योजनांतर्गत PGDM पाठ्यक्रम हेतु निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत उन्हीं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (CAT, XAT, CMAT, MAT, GMAT, ATMA, MPMET Etc.) के माध्यम से AICTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत है।
2. शेष विद्यार्थी जो कंडिका 01 में उल्लेखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से PGDM पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है एवं AICTE से मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, उन्हें संबंधित जिले में संचालित शासकीय शिक्षण संस्थाओं में देय शिक्षण शुल्क की न्यूनतम राशि छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की जावेगी।
3. शेष योजना नियम यथावत् रहेंगे।


आयुक्त

अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक/शिक्षा-1/2019-20/
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल उन्नयन विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. आयुक्त, पेंकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आयुक्त, आर्युष विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आयुक्त, पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



9. संचालक, पैरामेडिकल काउन्सिल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. **Chief Executive Officer**, Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission Gyan Vatika, Walmi Road, Near Excellence College, Kaliasot Dam, Bhopal की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. **Officer on Special Duty, Admission and Fee Regulatory Committee**, Tagore Hostel No. T-2, Ground Floor-Left Wing, Shyamla Hill, Bhopal की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अध्युक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश